संख्या-121/2019/1684/26-3-2019-10(4)/2012

प्रेषक,

सतीश कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 30 अप्रैल 2019

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान संख्या-81 में संचालित पूर्वदशम् (कक्षा 9 व 10) अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-07/04/ज.जा.वि./ दशमोत्तर छा0/2019-20, दिनांक-05.04.2019 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-81 **के लेखाशीर्षक-''2225-02-796-11-1101-21-छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन''** में प्राविधानित धनराशि **रूपया-110.00 लाख (रूपया एक करोड़ दस लाख मात्र)** धनराशि की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के लाभार्थियों हेतु किया जायेगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4)-स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग किया गया हो और कोई धनराशि पी0एल0ए0/ बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(5)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-11-अनुसूचित जनजातियों के कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तक सहायता-1101-कक्षा 9 व 10 के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता-21-छात्रवृत्तियों और छात्रवेतन'' के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च 2019 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय

सतीश कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पृ0संख्या-121/2019/1684(1)/26-3-2019- तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

भवदीय

सतीश कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।